Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Re-development of old and dilapidated buildings in Maharashtra.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, मुंबई में केन्द्र सरकार और उनके उद्यम, ट्रस्ट की जमीन पर स्थित पुरानी इमारतें, जो आज मरम्मत करने की स्थिति में भी नहीं हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं। मुम्बई में पोर्ट ट्रस्ट, एन. टी. सी., एल. आई. सी., रेस, बी. ए. आर. सी., जैसे कई केन्द्र सरकार के उद्यम हैं। इनकी जमीन पर जो पुरानी (सौ साल से भी पुरानी) इमारतें हैं। इन्हें पुनर्विकसित करने की आवश्यकता हैं। न उन्हें पुनर्विकास करने की अनुमति दी जाती हैं न ये उद्यम खुद इसका विकास करते हैं और वहां रहने वाले हमारे नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ चल रहा है। रेस तो जबरदस्ती 24/30 साल से उभरी हुई झोपड़ियों को जबरन तोड़ देती है, जिससे उनमें रहने वाले परिवार बेघर हो जाते हैं। एक तरफ हम पक्के घर देने का वादा करते हैं, दूसरी तरफ यह पुरानी इमारतें, जो कभी भी ढह सकती हैं। इसलिए केंद्र सरकार तुरंत इन मकानों, इमारतों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की सुरक्षा और विकास की नीति घोषित कराकर राहत दें। यही विनती है।

महाराष्ट्र सरकार ने जो पुनर्विकास और एसआरए के कानून पारित किए हैं। उस पर अगर अमल करने की अनुमति प्रदान की तो इस समस्या का निवारण होगा।